दिनांक 02.06.2018 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में आहूत मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, नाजीर एवं लेखा सहायक का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

मनरेगा

मनरेगा योजना की समीक्षा के कम में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे पंचायत के कैश बुक का जाँच करना आरंभ कर दे। गाण्डेय प्रखण्ड के मनरेगा कैश बुक की समीक्षा के कम में पाया गया कि कैश बुक का उचित संधारण नहीं किया जा रहा है। कैश बुक में प्रविष्टि, पृष्ठांकन एवं सत्यापन नहीं होने के कारण लेखा सहायक गाण्डेय का अगले आदेश तक वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण करते हुऐ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गाण्डेय से भी स्पष्टीकरण पूछा जाता है। सभी लेखा सहायक को निदेश दिया जाता है कि वे कैश बुक को नियमानुसार संधारित करें। ऑडिट होने पर यदि गड़बड़ी पायी जाती है तो कार्रवाई की जायेगी।

गिरिडीह प्रखण्ड के लेखा सहायक द्वारा कैश बुक नही दिखाया गया इनके द्वारा बताया गया कि कैश बुक नाजीर संधारित करते है। बैठक में नाजीर उपस्थित नही रहने एवं कैशबुक संधारित नही करने के आरोप में दोनो का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करते हुऐ स्पष्टीकरण किया गया साथ ही निदेश दिया गया कि वे कैश बुक को अद्यतन रखें।

लेखा सहायक, पीरटांड द्वारा कैश बुक का संधारण नही किये जाने के कारण अगले आदेश तक वेतन स्थगित करते हुऐ स्पष्टीकरण किया गया।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तिसरी को निदेश दिया गया कि आवास योजना को छोड़कर पाँच योजना प्रति ग्राम कियान्वित किया जाय। वर्त्तमान में 1.5 योजना प्रति ग्राम चलायी जा रही है। निदेश दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएँ कियान्वित की जाय। क्षेत्र में भ्रमण किया जाय। पंचायतों में कैम्प कर योजनाओं का कियान्वित किया जाय। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को चेतावनी दी गयी कि एक सप्ताह के अन्दर पाँच योजना प्रति ग्राम से कम रहने पर कार्रवाई की जायेगी।

सरिया प्रखण्ड में प्रति ग्राम योजना औसत 3.03 है। गिरिडीह प्रखण्ड का Labour Engagement 62 है जिसपर रोष व्यक्त किया गया। गिरिडीह प्रखण्ड को तीन दिनों के अन्दर Labour Engagement 150 करने का निदेश दिया गया। बगोदर प्रखण्ड का Labour Engagement 73 है। धनवार प्रखण्ड का Labour Engagement 60 है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अधिक से अधिक योजनाएँ लें, श्रमिकों की संख्या बढ़ाये एवं किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ नहीं करें। गावाँ प्रखण्ड का प्रति ग्राम योजना औसत 1.57, बेंगाबाद का 1.68, देवरी का 1.57 एवं तिसरी का 1.55 है जिसे हर हाल में पाँच से अधिक करने का निदेश दिया गया है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाशिकारियों को निदेश दिया गया कि वे इस बात का ध्यान रखें कि मस्टर रॉल शून्य फील नही हो एवं Delete भी नहीं किया जाय।

Good Governance कि सभी मानकों का अनुपालन किया जाय। Delay Payment की समीक्षा के कम में निदेश दिया गया कि Wage List, T+7 एवं T+8 इन तीनों स्तर पर यथा संभव Delay Payment शून्य रखा जाय। शून्य नहीं होने पर संबंधित पंचायत को तुरन्त Delay का Alert जारी किया जाय। डुमरी प्रखण्ड में 15 दिनों से अधिक Delay Paymeny से संबंधित 28 मामले गिरिडीह प्रखण्ड में 07 MR Delay होने के मामले हैं जिसे तीन दिनों के अन्दर शून्य करने का निदेश दिया गया। मुखिया स्तर पर Pending के मामले सबसे अधिक बेंगाबाद प्रखण्ड में पाये गये। पंचायत सचिव स्तर पर Delary

Payment के मामले डुमरी प्रखण्ड में अधिक है जिसे दो दिनों के अन्दर भुगतान करने का निदेश दिया गया।

कनीय अभियंता स्तर पर जमुआ प्रखण्ड में सबसे ज्यादा मामला हैं। गाण्डेय प्रखण्ड में 320 Delay के मामले हैं। संबंधित कनीय अभियंता को दो तीन दिनों में मापी करने का निदेश दिया गया है। Delay Payment में प्रखण्ड बिरनी, धनवार एवं गिरिडीह में सबसे अधिक मामले हैं। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारीयों को निदेश दिया गया कि इन मामलो को अविलम्ब शून्य किया जाय। Scheme Closing की समीक्षा के कम में सहायक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वे जितने भी Pending Scheme हैं उनका सत्यापन करते हुए Close करवायें। पंचायत भवन के संबंध में मनरेगा से कराये गये कार्य एवं व्यय का विवरण देते हुए अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 की सभी योजनाओं को Close करने का निदेश दिया गया । बागवानी योजना के संबंध में निर्देश दिया गया कि गड्डा खुदाई का कार्य अविलम्ब पूर्ण कर लिया जाय। MIS से संबंधित समस्याओं का समाधान मनरेगा सेल से वार्त्ता कर किया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

परियोजना पदाधिकारी, डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।	निदेशक, डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।	उप विकास आयुक्त-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1487/अभि०, गिरिडीह, दिनांक 19 जून, 2018

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवंटित प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छेाटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना पदाधिकारी, डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।	निदेशक, डी०आर०डी०ए०, गिरिडीह।	उप विकास आयुक्त-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, गिरिडीह।